"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 अप्रैल 2012—वैशाख 6, शक 1934

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-20/2012/वा.क.(आब.)/पांच (23).—स्वापक औषधियां और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं.-61) की धारा-8 तथा 10 के साथ सहपठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटेन्सेज (छत्तीसगढ़) नियम, 1985 के अध्याय-3 "अ" पोस्ता भूंसा नियम (नियम-37-क से 37-न तक) एवं प्ररूप (पी.एस.-1 से 10 तक) यथासंशोधित के नियम 37-घ (एक) के अंतर्गत अधिकृत भण्डारण भाण्डागार अधिकारी द्वारा अनुज्ञात पॉपीस्ट्रा व्यसनियों को पॉपीस्ट्रा विक्रय हेतु दर 150/- (एक सौ पचास रुपये) प्रति किलोग्राम निर्धारित किया जाता है.

2. उक्त विक्रय दर वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.